



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 23, 2017/आषाढ़ 2, 1939

No. 523]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 23, 2017/ASHADHA 2, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2017

सा.का.नि. 632(अ).—परिषद, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961(1961 का 59) की धारा 27 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6 की उप-धारा (घ) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विजिटर के पुनर्विलोकन और अनुमोदन के पश्चात् निम्नलिखित पहला परिनियम बनाती है, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

और प्रारम्भ - (भारतीय खान विद्यालय), धनबाद परिनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं - 2. (1) इन परिनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 (1961 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) “प्राधिकारी”, “अधिकारी” और “आचार्य” से संस्थान के प्राधिकारी अधिकारी और आचार्य अभिप्रेत हैं;

(ग) “निर्माण और संकर्म समिति” से संस्थान की निर्माण और कार्य समिति अभिप्रेत हैं;

(घ) “केन्द्र” या “विद्यालय” से शैक्षणिक या शोध क्रिया-कलापों या दोनों को क्रियान्वित करने के लिए और उन्हें सुकर बनाने के लिए इस प्रकार स्थापित शैक्षणिक केन्द्र या विद्यालय अभिप्रेत है जिनके परिणाम स्वरूप बैचेलर या मास्टर या पीएचडी डिग्री प्रदान की जाती है, अभिप्रेत है;

(ङ) “केन्द्रीय सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) छात्रावास के सम्बन्ध में “मुख्य वार्डन” से उसका मुख्य वार्डन अभिप्रेत है;

(छ) “संकायाध्यक्ष” से निदेशक द्वारा नियुक्त संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

- (ज) “विभाग” से स्नातक या स्नातकोत्तर या दोनों और पीएचडी की उपाधियों हेतु अनुदेश देने और शोध क्रिया-कलाप करने के लिए स्थापित कोई शैक्षणिक विभाग अभिप्रेत है;
- (झ) “वित्त समिति” से संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (ञ) किसी विभाग या केन्द्र या विद्यालय के सम्बन्ध में “प्रधान” से उसका प्रधान अभिप्रेत है;
- (ट) “छात्रावास” से संस्थान के छात्रों के निवास के लिए छात्रावास अभिप्रेत है;
- (ठ) “संस्थान” से अधिनियम के अधीन निगमित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खान विद्यालय), धनबाद नाम से ज्ञात संस्था अभिप्रेत है;
- (ड) “अध्यादेश” से संस्थान के अध्यादेश अभिप्रेत है;
- (ढ) “सीनेट” संस्थान का सीनेट अभिप्रेत है;
- (ण) “सेवा केन्द्र” से अवसंरचनात्मक या वैज्ञानिक या दोनों तथा शैक्षणिक और शोध क्रिया-कलापों को अग्रसर करने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु इस प्रकार स्थापित शैक्षणिक सेवा केन्द्र अभिप्रेत है;
- (त) संस्थान के छात्रावास के सम्बन्ध में “वार्डन” से उसका वार्डन अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों और जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं या परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम है।

अभिशासक बोर्ड

3. (1) बोर्ड निम्नलिखित के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी समग्र नीति विषयक ढांचे से संगत सन्निधिम अधिकथित करता है, अर्थात्:-

- (i) औद्योगिक परामर्श;
- (ii) विदेशी और भारतीय शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों का सहयोग;
- (iii) दान की स्वीकृति;
- (iv) अन्य तकनीकी संस्थाओं को शैक्षणिक सहायता।

(2) बोर्ड, लघु और पूंजी संकर्म तथा संपदा की मरम्मत और रख-रखाव और संकर्म के मामले उन पर उपगत किए जाने वाले व्यय की सीमा तथा उसके अनुमोदन के बारे में नीति अधिकथित करेगा।

बैठक

4. बोर्ड के संविधान और उसकी बैठकों की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, अर्थात्:-

- (क) बोर्ड में प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने या उनका चयन करने के लिए हकदार निकायों को ऐसा करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जो उस तारीख से, जिसको वह ऐसे निमंत्रण जारी करता है, जो सामान्यतः आठ सप्ताह से अधिक न हो, आमंत्रित किया जाएगा और बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
- (ख) बोर्ड उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो किन्तु किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक करेगा।
- (ग) अध्यक्ष द्वारा बोर्ड की बैठकें या तो उसकी अपनी पहल पर या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर बुलाई जाएगी।
- (घ) चार सदस्य, जिनमें संस्थान से बाहर का एक सदस्य भी है, बोर्ड की बैठक के लिए कोरम होगा:

परन्तु यदि कोरम के अभाव में, बैठक आस्थगित कर दी जाती है तो बैठक ऐसे दिन को, समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष अवधारित करे, आयोजित की जाएगी और यदि ऐसी

बैठक में, बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घण्टे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित सदस्य कोरम होंगे।

- (ड) बोर्ड की बैठकों में विचार किए गए सभी प्रश्नों का उपस्थित सदस्यों, जिनमें अध्यक्ष भी है, के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और यदि मतों का बराबर-बराबर विभाजन हो जाता है तो अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।
- (च) अध्यक्ष, यदि उपस्थित है, बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक में अध्यक्षता करने के लिए स्वयं अपने में से एक का चयन करेंगे।
- (छ) प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना रजिस्ट्रार द्वारा बैठक की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेजी जाएगी और सूचना में बैठक का स्थान और समय उल्लिखित होगा:

परंतु अध्यक्ष अत्यावश्यक विशेष मुद्दों पर विचार करने अल्पकालिक सूचना पर बोर्ड की बैठकें बुला सकेगा।

- (ज) सूचना, बोर्ड के कार्यालय में यथा उल्लिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर या तो दस्ती या स्पीड पोस्ट द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक या ई-मेल द्वारा परिदत्त की जा सकेगी और यदि इस प्रकार भेजी गई सूचना ऐसे समय पर, जिस पर सूचना डाक के सामान्य अनुक्रम में परिदत्त की गई हो तो, सम्भवतः परिदत्त की गई समझी जाएगी।
- (झ) रजिस्ट्रार द्वारा कार्यसूची बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।
- (ञ) कार्यसूची पर किसी मद को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावों की सूचना रजिस्ट्रार के पास बैठक में कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जानी चाहिए और तथापि, अध्यक्ष ऐसी किसी मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकेगा जिसके लिए सम्यक सूचना प्राप्त नहीं की गई है।
- (ट) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में अध्यक्ष का विनिर्णय अन्तिम होगा।
- (ठ) बोर्ड की बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त अध्यक्ष के अनुमोदन से रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और भारत में उपस्थित बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा तथा संशोधनों, यदि कोई सुझाए हों, सहित कार्यवृत्त बोर्ड की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा और कार्यवृत्त की अध्यक्ष द्वारा पुष्टि किए जाने तथा उस पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् उन्हें कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा उसे कार्यालय घंटों के दौरान सभी समयों पर बोर्ड और परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।
- (ड) यदि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड से अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना तीन लगातार बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।
- (ढ) बोर्ड, निदेशक को अपनी ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा जो उसके द्वारा समुचित समझी जाएं, तथापि, निदेशक, अगली बैठक में उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।

बोर्ड के आदेशों तथा 5. बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय रजिस्ट्रार के या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य विनिश्चयों का व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।
अधिप्रमाणन

सीनेट

6. (1) अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित सीनेट के सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) ऐसे आचार्यों, जो सीनेट के सदस्य नहीं हैं, से भिन्न विभागाध्यक्ष या अकादमी केन्द्रों या विद्यालयों के अध्यक्ष;
- (ख) जो सीनेट के सदस्य नहीं हैं उन आचार्यों से भिन्न संकायाध्यक्ष तथा सहायक संकायाध्यक्ष;
- (ग) संस्थान का पुस्तकालयाध्यक्ष;
- (घ) एक वर्ष की अवधि के लिए निदेशक द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक मुख्य वार्डन;
- (ङ) ऐसी अवधि, जो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए निदेशक के परामर्श के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए गए उनके विशेष ज्ञान के लिए शैक्षणिक संकर्मचारिवृन्द को छह अन्य सदस्यों से अनधिक सदस्य;

(2) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सीनेट की निम्नलिखित की शक्तियां होंगी:-

- (क) विभिन्न भागों या शैक्षणिक केन्द्रों या विद्यालयों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण बनाना तथा उनका पुनरीक्षण करना;
- (ख) परीक्षाओं के संचालन हेतु व्यवस्था करना, परीक्षकों, परिमार्जकों, सारणीकारों आदि की नियुक्ति करना;
- (ग) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य शैक्षणिक सम्मान या उपाधियां प्रदान या स्वीकृत करने के सम्बन्ध में बोर्ड की सिफारिश करना;
- (घ) विभागों या शैक्षणिक केन्द्रों या विद्यालय के कार्यक्रम से सम्बद्ध शैक्षणिक विषयों पर सिफारिश करने के लिए संस्थान के विभागों तथा शैक्षणिक केन्द्रों या विद्यालयों के लिए सलाहकार समितियों या विशेषज्ञ समितियों या दोनों की नियुक्ति करना और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष ऐसी समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे;
- (ङ) ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक विषयों, जो सीनेट द्वारा किसी ऐसी समिति को निर्दिष्ट किए जाएं, पर सलाह देने के लिए सीनेट के सदस्यों, संस्थान के अन्य अध्यापकों तथा बाहर के विशेषज्ञों में से समितियां नियुक्त करना;
- (च) विभिन्न विभागों या शैक्षणिक केन्द्रों या विद्यालयों से सम्बद्ध सलाहकार समिति की सिफारिशों तथा विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और ऐसी कार्रवाई (जिसमें बोर्ड को सिफारिश करना भी है) करना जिसकी प्रत्येक की परिस्थितियों में अपेक्षा की जाए;
- (छ) विभागों का क्रिया-कलापों का आवधिक पुनर्विलोकन करना तथा समुचित कार्रवाई (जिसमें बोर्ड की सिफारिशें करना भी है) करना;
- (ज) पुस्तकालय के कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करना;
- (झ) संस्थान के भीतर शोध को बढ़ावा देना और उसमें लगे हुए व्यक्तियों से ऐसे शोध पर रिपोर्टों की अपेक्षा करना;

- (ज) उनमें शिक्षा तथा अनुशासन की बाबत कक्षाओं तथा छात्रावासों के निरीक्षण के लिए व्यवस्था करना, संस्थान के छात्रों के पाठ्यक्रमेतर क्रिया-कलाप का पर्यवेक्षण करना तथा उस पर बोर्ड को रिपोर्टें प्रस्तुत करना;
 - (ट) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, पदकों तथा पुरस्कार प्रदान करना और अध्यादेशों तथा ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार जो पुरस्कार से सम्बद्ध हों, अन्य पुरस्कार देना;
 - (ठ) शैक्षणिक संकर्मचारिवृन्द पर पदों का सृजन तथा उनके उत्सादन और ऐसे पदों के कर्तव्यों के सम्बन्ध में बोर्ड को सिफारिश करना;
 - (ड) विभागों या केन्द्रों या विद्यालयों या सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा उनके उत्सादन के सम्बन्ध में बोर्ड को सिफारिश करना और ऐसे शैक्षणिक विभागों या केन्द्रों या विद्यालयों या ऐसे केन्द्रों के लिए शैक्षणिक और अन्य संकर्मचारिवृन्द का आबंटन;
 - (ढ) अन्य तकनीकी संस्थाओं को उनके शैक्षणिक मानकों को अग्रसर करने में सहायता प्रदान करना;
 - (ण) संस्थान की शैक्षणिक तथा शोध उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पहुंच बनाना।
- (3) सीनेट, उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान चार बार से कम बैठक नहीं होगी।
- (4) (क) सीनेट की बैठकें अध्यक्ष द्वारा या तो उसकी स्वयं की पहल पर या सीनेट के कम से कम 20% सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर बुलाई जाएगी।
- (ख) अध्यक्षित बैठक कार्यसूची की केवल उन मदों पर चर्चा करने के लिए विशेष बैठक होगी जिसके लिए अध्यक्षता की जाती है। अध्यक्षित बैठक सीनेट के अध्यक्ष द्वारा उसे सुविधाजनक तारीख और समय पर ऐसी अध्यक्षता के लिए दी गई सूचना के पन्द्रह दिन के भीतर बुलाई जाएगी।
- (5) सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई सीनेट की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।
- (6) निदेशक, यदि उपस्थित हो, सीनेट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, उप-निदेशक अध्यक्षता करेगा और निदेशक तथा उप-निदेशक दोनों की अनुपस्थिति में, संकायाध्यक्षों में से ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि संकायाध्यक्षों में से कोई भी उपस्थित नहीं है तो उपस्थित आचार्यों में से ज्येष्ठतम आचार्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (7) प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना कार्य सूची के साथ रजिस्ट्रार द्वारा बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले सीनेट के सदस्यों को परिचालित की जाएगी और सीनेट का अध्यक्ष ऐसी किसी मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकता है जिसके लिए सम्यक सूचना नहीं दी जा सकी थी।
- (8) उप-परिनियम (7) के उपबंधों के होते हुए भी, निदेशक अत्यावश्यक विशेष मुद्दों पर विचार करने के लिए किसी अल्प सूचना पर सीनेट आपातकालीन बैठक बुला सकेगा।
- (9) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के बारे में सीनेट के अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा।
- (10) सीनेट की बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सीनेट के अध्यक्ष के अनुमोदन से कुलसचिव द्वारा तैयार किया जाएगा तथा भारत में उपस्थित सीनेट के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा। परंतु ऐसा कोई कार्यवृत्त परिचालित नहीं किया जाएगा यदि सीनेट समझती है कि उसका परिचालन संस्थान के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। कार्यवृत्त, संशोधनों के साथ, यदि कोई हों तो, सीनेट की अगली बैठक में पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यवृत्त की पुष्टि हो जाने तथा इस पर सीनेट के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात्, इनको कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा जो

कार्यालय घण्टों के दौरान सभी समय पर सीनेट, बोर्ड तथा परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

(11) आपाती दशाओं में सीनेट का अध्यक्ष सीनेट के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा तथा उसके द्वारा की गई कार्रवाई को सीनेट की आगामी बैठक में उस पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सीनेट को रिपोर्ट कर सकेगा।

वित्त समिति

7. (1) वित्त समिति, अधिनियम की धारा 10 के अर्थान्तर्गत, संस्थान का एक प्राधिकारी होगी और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) अध्यक्ष, पदेन, जो वित्त समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति;
- (ग) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति; और
- (घ) निदेशक।

(2) (क) उपरोक्त उप-परिनियम (1) के उप-खंड (ख) और (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य का कार्यकाल, जिस वर्ष में उसे नामनिर्दिष्ट किया गया हो, उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन से तीन वर्ष का होगा।

(ख) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु नामनिर्दिष्ट सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि तक के लिए होगा जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) वित्त समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात्:-

(क) निदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की जांच एवं संवीक्षण तथा बोर्ड को सिफारिशें करना;

(ख) संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी भी वित्तीय प्रश्न पर, या तो बोर्ड की, या निदेशक की या स्वयं अपनी पहल पर अपने विचार रखना तथा बोर्ड को अपनी सिफारिशें करना;

(ग) संस्थान से सम्बन्धित सभी ऐसे मामलों पर, जो वित्तीय विवक्षाएं रखते हों, विचार करना तथा बोर्ड को अपनी सिफारिशें करना।

(4) वित्त समिति की बैठक उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो परंतु एक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

(5) वित्त समिति की किसी बैठक हेतु वित्त समिति के तीन सदस्य गणपूर्ति करेंगे।

(6) अध्यक्ष, यदि उपस्थित हो, वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेगा।

(7) बैठक की सूचनाएं, कार्यसूची में मदों का समावेशन और बोर्ड की बैठकों को लागू कार्यवृत्त की पुष्टि के बारे में उपरोक्त परिनियमों में उपबन्ध, यथाशक्य, वित्त समिति की बैठकों के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(8) वित्त समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी।

(9) आकस्मिक मामलों में, अध्यक्ष, वित्त समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा उसके द्वारा की गई कार्रवाई को, उसके अनुमोदन हेतु वित्त समिति की आगामी बैठक में रिपोर्ट कर सकेगा।

भवन एवं

संकर्म समिति

8. (1) भवन एवं संकर्म समिति, अधिनियम की धारा 10 के अर्थान्तर्गत

संस्थान का एक प्राधिकरण होगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (क) निदेशक, पदेन, जो भवन एवं संकर्म समिति का अध्यक्ष होगा;

- (ख) उप-निदेशक, पदेन;
- (ग) भारसाधक आचार्य, संपदा एवं संकर्म, पदेन;
- (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;
- (ङ) किसी सरकारी विभाग/अभिकरण से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सिविल इंजीनियर, जो अधीक्षण इंजीनियर से नीचे की पंक्ति का न हो;
- (च) किसी सरकारी विभाग या अभिकरण से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विद्युत इंजीनियर;
- (छ) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संस्थान के ऐसे तीन आचार्य, जो सुसंगत विशेषज्ञता रखते हों;
- (ज) संस्थान इंजीनियर, पदेन;
- (झ) कुलसचिव, पदेन, सचिव;
- (2) (क) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्य है।
- (ख) उपरोक्त परनियम (1) के खंड (घ), (ङ.), (च) तथा (छ) के अन्तर्गत नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य का कार्यकाल उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन से दो वर्ष का होगा।
- (3) भवन एवं संकर्म समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी तथा उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-
- (क) यह बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात्, बोर्ड के निदेशाधीन सभी मुख्य पूंजी संकर्मों के प्रति उत्तरदायी होगी;
- (ख) इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यय की सीमा के भीतर, इस प्रयोजन के लिए संस्थान के व्ययन पर रखे गए अनुदान के भीतर, अनुदान राशि के अन्तर्गत, लघु संकर्मों और अनुरक्षण तथा मरम्मत से सम्बन्धित लघु संकर्मों हेतु आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय मंजूरी की शक्ति होगी;
- (ग) यह भवनों व अन्य पूंजी संकर्मों, लघु संकर्मों, मरम्मत, अनुरक्षण और ऐसे ही अन्य कार्यों के प्राक्कलन तैयार करवाएगी;
- (घ) यह ऐसी तकनीकी संवीक्षा करने हेतु यह उत्तरदायी होगी जो इसके द्वारा आवश्यक समझी जाए;
- (ङ) यह उपयुक्त ठेकेदारों के सूचीकरण तथा निविदाओं की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी तथा जहां आवश्यक हो, वहां इसे विभागीय संकर्मों हेतु निदेश देने की शक्ति भी होगी।
- (च) इसे निविदाओं के अन्तर्गत न आने वाली दरों को तय करने तथा ठेकेदारों के साथ दावों और विवादों को निपटाने की शक्ति होगी;
- (4) भवन एवं संकर्म समिति, संस्थान हेतु भवनों के सन्निर्माण एवं भूमि के विकास के विषय में ऐसे अन्य कृत्य भी करेगी जो बोर्ड द्वारा इसे समय-समय पर, सौंपे जाएं।

(5) आकस्मिक मामलों में भवन एवं संकर्म समिति का अध्यक्ष भवन एवं संकर्म समिति समिति के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे मामले उसके द्वारा भवन एवं संकर्म समिति की अगली बैठक में रिपोर्ट किए जाएंगे।

(6) भवन एवं संकर्म समिति की बैठक उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, परंतु एक वर्ष में दो बार से कम नहीं, होगी।

(7) भवन एवं संकर्म समिति की किसी बैठक के लिए तीन सदस्य कोरम पूरा करेंगे।

(8) बैठक की सूचनाओं, कार्यसूची में मदों का समावेशन तथा कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में बोर्ड की बैठकों को इन परिनियमों के उपबन्ध, जहां तक हो सके, भवन एवं संकर्म समिति की बैठकों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

(9) भवन एवं संकर्म समिति की बैठक के प्रत्येक कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड को भेजी जाएगी।

अध्यक्ष

9. (1) अध्यक्ष को चयन समिति की सिफारिशों पर, ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिन पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जा सकती हो, किसी पद धारक का प्रारम्भिक वेतन, वेतनमान के न्यूनतम से एक चरण ऊपर निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(2) अध्यक्ष को संस्थान के संकर्मचारिवृन्द के सदस्यों को प्रशिक्षण या किसी अनुदेश के पाठ्यक्रम हेतु, बोर्ड द्वारा समय-समय पर, निबंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए भारत से बाहर भेजे जाने का अधिकार होगा।

(3) अध्यक्ष, निदेशक एवं संस्थान के बीच सेवा की संविदा का निष्पादन करेगा:

परंतु ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के सम्बन्ध में अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) आकस्मिक मामलों में, अध्यक्ष, बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए उसे बोर्ड की आगामी बैठक में सूचित कर सकेगा।

निदेशक

10. (1) विजिटर के पूर्व अनुमोदन से परिषद द्वारा, समय-समय पर, यथा संशोधित 'प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961' की धारा 17(1) के उपबन्धों के अधीन, पांच वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर या उसके द्वारा सत्तर(70) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त निदेशक को ऐसी प्रक्रिया, जो विनिर्दिष्ट प्रयोजन किए गए बजट उपबन्धों के अधीन रहते हुए समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए, के अनुसार व्यय उपगत करने की शक्ति होगी।

(2) निदेशक को प्रत्येक मद के लिए ऐसी सीमा तक आवर्ती बजट गठित करने वाले भिन्न-भिन्न मदों के सम्बन्ध में ऐसी विधियों को पुनर्नियोजित करने की शक्ति होगी जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर, अवधारित की जाए:

परंतु ऐसे पुनर्विनियोग में भावी वर्षों का कोई दायित्व अन्तर्वलित नहीं होगा। प्रत्येक ऐसे पुनर्विनियोग की, यथासंभव शीघ्र, रिपोर्ट बोर्ड को दी जाएगी।

(3) निदेशक को ऐसी सीमा तक, जो समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए, संकर्मचारिवृन्द के सदस्य को किए गए अति संदाय, जिसका पता संदाय के चौबीस मास के भीतर नहीं चलता है, की वसूली को अधित्यजित करने की शक्ति होगी। प्रत्येक ऐसा अधित्यजन, यथाशक्य, बोर्ड को रिपोर्ट किया जाएगा।

(4) निदेशक को ऐसी वित्तीय सीमा, जो समय-समय पर, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के अधीन रहते हुए ऐसे प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त स्थायी समिति की सिफारिश पर अवसूलनीय हानियों और गुम हुए या घिसावट के कारण अनुपयोगी हुए भण्डारों के अवसूलनीय मूल्य को बट्टे खाते में डाल देने की शक्ति होगी।

(5) निदेशक को ऐसे पदों, जिन पर अधिनियम के अनुसार बोर्ड द्वारा यथा नियत उसके द्वारा नियुक्ति की जा सकती है, के सम्बन्ध में चयन समिति की सिफारिश पर किसी पदधारी के आरम्भिक वेतन को ऐसे प्रक्रम पर, जो वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है किन्तु उसमें पांच वेतन वृद्धियों से अधिक वेतन वृद्धियां अन्तर्वलित नहीं हैं, नियत करने की शक्ति होगी।

(6) निदेशक को ऐसी परिलब्धियां, जो समय-समय पर, बोर्ड द्वारा नियत की जाएं, अन्तर्वलित करने वाली आकस्मिकता निधि से संदत्त तकनीशियनों और संकर्मकारों को नियोजित करने की शक्ति होगी।

(7) निदेशक को ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएं, के अधीन रहते हुए भारत के भीतर प्रशिक्षण के लिए या अनुदेश पाठ्यक्रम के लिए संकर्मचारिवृन्द सदस्यों को भेजने की शक्ति होगी।

(8) निदेशक को पूर्णतः या आंशिकतः अनुपयुक्त ठहराए गए भवनों के किराए की माफी या उसमें कमी की मंजूरी की शक्ति होगी।

(9) निदेशक को किसी भवन के, किसी प्रयोजन से भिन्न किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जिसके लिए इसका सन्निर्माण किया गया है, अस्थायी आबंटन को मंजूर करने की शक्ति होगी।

(10) आपवादिक मामलों में, निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, निदेशक को अध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड के रिपोर्टाधीन अनुमोदित वेतनमानों पर दो वर्ष से अनधिक की अवधि के अस्थायी पदों को अध्यक्ष के अनुमोदन से सृजित करने की शक्ति होगी परन्तु ऐसा कोई पद, जिसका निदेशक नियुक्त प्राधिकारी नहीं है, इस प्रकार सृजित नहीं किया जाएगा।

(11) निदेशक को सरकार के लेखा कोड और अनुकूल नियमों तथा अन्य नियमों, जहां तक वे संस्थान के कारबार के संचालन को लागू होते हैं या उसको लागू किए जा सकते हैं, में नियमों के प्रयोजन के लिए विभागाध्यक्ष की शक्ति होगी।

(12) यदि, किसी कारणवश, कुलसचिव एक मास से अनधिक अवधि के लिए स्थायी रूप से अनुपस्थित है तो निदेशक कुलसचिव के कृत्यों में से किसी कृत्य को अपने प्रबन्ध में ले सकेगा या उसे संस्थान के संकर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को समनुदेशित कर सकेगा:

परन्तु यदि किसी भी समय कुलसचिव की स्थायी अनुपस्थिति एक मास से अधिक है तो बोर्ड, यदि वह ठीक समझता है एक मास की अवधि के लिए पूर्वोक्त कुलसचिव के कृत्यों को प्रबन्ध में लेने के लिए या समनुदेशित करने के लिए निदेशक को प्राधिकृत कर सकेगा।

(13) निदेशक मुख्यालयों से अपनी अनुपस्थिति के दौरान उप-निदेशक या संकाय अध्यक्षों में से एक संकायाध्यक्ष या उपस्थित ज्येष्ठतम आचार्य को संकर्मचारिवृन्द के यात्रा भत्ते, आकस्मिक निधियों और चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम मंजूर करने तथा उसकी ओर से बिलों पर हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और निदेशक की ऐसी शक्तियों को ग्रहण करने के लिए उसे प्राधिकृत कर सकेगा जो विनिर्दिष्ट रूप से लिखित में उसके द्वारा उप-निदेशक या संकायाध्यक्षों में भी एक संकाय अध्यक्ष या उपस्थित ज्येष्ठतम आचार्य को प्रत्योजित की जाएं।

(14) निदेशक, अपने विवेकानुसार ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो वह समुचित समझे।

(15) अध्यक्ष के पद पर उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा किसी रिक्ति के होने की दशा में या अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष के अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की दशा में, निदेशक परिनियम 9 के अधीन अध्यक्ष को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

उप-निदेशक

11. (1) उप-निदेशक, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर, विनिश्चित की जाएं, संस्थान के आचार्यों में से निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उप-निदेशक ऐसे अतिरिक्त धनीय फायदा के लिए हकदार होगा, जो समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा विहित/अनुमोदित की जाए।

(2) उप-निदेशक शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य में तथा उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की अन्य संस्थाओं के साथ और औद्योगिक उपक्रमों तथा अन्य संकर्मचारियों के साथ भी सम्पर्क बनाए रखने में निदेशक की सहायता करेगा।

संकायाध्यक्ष

12. (1) निदेशक संकायाध्यक्षों और सहयुक्त संकायाध्यक्षों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में उसकी सहायता करने के लिए अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त कर सकेगा।

(2) संकायाध्यक्ष और सहयुक्त संकायाध्यक्षों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए अध्यापकों में से निदेशक द्वारा की जाएगी और वे निदेशक के प्रसादपर्यन्त अपना पदधारण करेंगे।

(3) संकायाध्यक्ष और सहयुक्त संकायाध्यक्ष संस्थान के अधिकारी समझे जाएंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से निदेशक द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं और सहयुक्त संकायाध्यक्ष का प्रसामान्यतः अपने कर्तव्यों के निष्पादन में सम्बन्धित संकायाध्यक्षों की सहायता करेंगे।

(4) संकायाध्यक्ष और सहयुक्त संकायाध्यक्ष अतिरिक्त धनीय फायदे के लिए हकदार होंगे, जो समय-समय पर, भारत सरकार द्वारा विहित या अनुमोदित किया जाए।

संस्थान के संकर्मचारिवृन्द तथा संकर्मचारियों का वर्गीकरण

13. (1) आकस्मिक निधियों से संदत्त संकर्मचारियों के मामले में के सिवाय संस्थान के संकर्मचारियों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:-

(क) शैक्षणिक संकर्मचारिवृन्द – जिनके अन्तर्गत निदेशक, उप-निदेशक, आचार्य, सह-आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रणाली प्रबंधक, ज्येष्ठ कार्यक्रमक, प्रणाली विश्लेषक, कार्यक्रमक, अनुसंधान इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर, कार्यशाला अधीक्षक, सहायक अधीक्षक कार्यशाला, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी हैं और ऐसे अन्य शैक्षणिक पद भी होंगे, जिनका बोर्ड द्वारा समय-समय पर, विनिश्चय किया जाए।

(ख) तकनीकी संकर्मचारिवृन्द – जिनके अन्तर्गत संस्थान या कैम्पस इंजीनियर, सहायक संस्थान या कैम्पस इंजीनियर, कनिष्ठ इंजीनियर, तकनीकी अधिकारी, फोरमैन, सहायक फोरमैन, ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक, टेलीफोन ऑपरेटर, चालक, ज्येष्ठ भेषजज्ञ, स्टॉफ नर्स, ड्रैसर, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, सहायक कोच और ऐसे अन्य तकनीकी पद भी होंगे, जिनका बोर्ड द्वारा समय-समय पर, विनिश्चय किया जाए।

(ग) प्रशासनिक और अन्य संकर्मचारिवृन्द – जिनके अन्तर्गत कुलसचिव, उप-कुलसचिव, सहायक रजिस्टार, सम्पदा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, उद्यान कृषि विशेषज्ञ, लोक सम्पर्क अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, खेल-कूद अधिकारी, सहायक खेल-कूद अधिकारी, परामर्शदाता, सहायक परामर्शदाता, निजी सचिव, निजी सहायक, अधीक्षक, सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक, ज्येष्ठ आशुलिपिक, आशुलिपिक, ज्येष्ठ भण्डारी, भण्डारी, बहुकार्य संकर्मचारिवृन्द ऐसे अन्य प्रशासनिक और अन्य संकर्मचारिवृन्द भी होंगे जिनका बोर्ड द्वारा समय-समय पर, विनिश्चय किया जाए।

(2) उपरोक्त वर्गीकरण के होते हुए भी, बोर्ड परिषद के निदेशों के अनुसार पद की व्यवस्था कर सकेगा या वर्गीकरण में परिवर्तन कर सकेगा।

नियुक्तियां

14. (1) संस्थान में सभी पद, प्रसामान्यतः विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे किन्तु बोर्ड को निदेशक की सिफारिशों पर यह विनिश्चय करने की शक्ति होगी कि किसी विशिष्ट पद को आमंत्रण द्वारा या संस्थान के संकर्मचारिवृन्दों के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

(2) संस्थान समय-समय पर, परिषद के निदेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा यथा अधिकथित पदों के आरक्षण के लिए आवश्यक उपबंध करेगा और ऐसे पदों पर नियुक्ति करते समय नियुक्ति प्राधिकारी संगततः संस्थान में प्रशासन की दक्षता के अनुरक्षण और शिक्षण को अधुण्ण रखेगा।

(3) विज्ञापन द्वारा या संस्थान के संकर्मचारिवृन्द के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा संस्थान (संविदा आधार पर पदों से भिन्न) के अधीन पदों को भरने के लिए चयन समिति का नीचे अधिकथित रीति में गठन किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) वैज्ञानिक, डिजाइन और कम्प्यूटर, संकर्मचारिवृन्द काडरों में आचार्यों के पदों में और समतुल्य पदों के मामले में चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i) निदेशक - अध्यक्ष

(ii) विजिटर का एक नामनिर्देशिनी - सदस्य

(iii) बोर्ड के दो नामनिर्देशिनी, जो एक विशेषज्ञ हो किन्तु बोर्ड के सदस्य से भिन्न हो - सदस्य

(iv) सीनेट द्वारा नामनिर्देशित सीनेट के सदस्य से भिन्न एक विशेषज्ञ - सदस्य

(ख) वैज्ञानिक, डिजाइन और कम्प्यूटर संकर्मचारिवृन्द काडरों में सह-आचार्य, सहायक आचार्य के पदों, समतुल्य पदों और पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक पदों, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर, विनिश्चित किए जाएं, के मामले में चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i) निदेशक - अध्यक्ष

(ii) बोर्ड के दो नामनिर्देशिनी, जिनमें से एक विशेषज्ञ हो किन्तु बोर्ड के सदस्य से भिन्न हो - सदस्य

(iii) सीनेट द्वारा नामनिर्देशित सीनेट के सदस्य से भिन्न एक विशेषज्ञ - सदस्य

(iv) सम्बद्ध विभाग/शैक्षणिक केन्द्र/स्कूल का अध्यक्ष, यदि ऐसा पद, जिसके लिए चयन किया जाता है विभाग/शैक्षणिक केन्द्र/स्कूल के अध्यक्ष द्वारा धारित पद की अपेक्षा प्रास्थिति में निम्नतर है - सदस्य

(v) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए अध्यक्ष, संस्थान की पुस्तकालय सलाहकार समिति - सदस्य

(ग) रजिस्ट्रार, उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, संस्थान इंजीनियर, खेल-कूद अधिकारी, सहायक खेल-कूद अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी के पदों के मामले में चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i) निदेशक - अध्यक्ष

(ii) उप-निदेशक - सदस्य

(iii) विशेषज्ञ के रूप में बोर्ड के दो नामनिर्देशिनी - सदस्य

(iv) कुलसचिव, कुलसचिव के पद के सिवाय - सदस्य

(घ) अन्य समूह 'क' के पदों, जो उपरोक्त खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, के मामले में और जिनका अधिकतम वेतनमान समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (i) निदेशक या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष
- (ii) बोर्ड का नामनिर्देशिती – सदस्य
- (iii) यथास्थिति, सम्बद्ध विभाग/केन्द्र/स्कूल का प्रधान – सदस्य
- (iv) निदेशक द्वारा नामनिर्देशिती संस्थान के संकर्मचारिवृन्द से एक विशेषज्ञ - सदस्य

(ङ) ऐसे अन्य पदों के मामले में, जो उपरोक्त खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनका अधिकतम वेतनमान समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रकम से अधिक है, चयन समिति निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- (i) निदेशक या उसका नामनिर्देशिती – अध्यक्ष
- (ii) बोर्ड का नामनिर्देशिती – सदस्य
- (iii) यथास्थिति, सम्बद्ध विभाग/केन्द्र/स्कूल का अध्यक्ष – सदस्य
- (iv) निदेशक द्वारा नामनिर्देशिती संस्थान के संकर्मचारिवृन्द में से एक विशेषज्ञ – सदस्य

(च) अन्य सभी पदों के मामले में, निदेशक अपने विवेकानुसार ऐसी चयन समितियों का गठन कर सकेगा जो उसके द्वारा उचित समझी जाए।

टिप्पण: 1. चयन समिति का अध्यक्ष चयन समिति की सहायता करने के लिए अनुमोदित पैनलों में से एक या अधिक अतिरिक्त विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकेगा।

2. निदेशक द्वारा अनुमोदित पैनल से क्रमशः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्तियों के लिए चयन समिति।

(4) निदेशक की अनुपस्थिति में, संस्थान के संकर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य, जो निदेशक के वर्तमान कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, निदेशक के स्थान पर, चयन समितियों का अध्यक्ष होगा।

(5) उप-निदेशक की अनुपस्थिति में, निदेशक, अपने स्थान पर चयन समिति में कार्य करने के लिए संस्थान के संकर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) जहां पद संविदा आधार या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है, वहां अध्यक्ष, अपने विवेकानुसार, जैसी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा की जाए, ऐसी तदर्थ चयन समिति का गठन कर सकेगा।

(7) जहां कोई पद संस्थान के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा या बारह मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से भरा जाना है, वहां बोर्ड अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करेगा।

(8) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड को "अनुमोदित" कार्यक्रमों के अधीन प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्तियां ऐसी रीति में करने की शक्ति होगी जैसी वह ठीक समझे और बोर्ड ऐसे "अनुमोदित" कार्यक्रमों की अनुसूची बनाए रखेगा।

(9) यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाना है, पद के निबंधन और शर्तें कुलसचिव द्वारा विज्ञापित की जाएंगी और विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा परन्तु चयन समिति पर्याप्त कारणों से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर विचार कर सकेगी:

परंतु यह और कि यदि बोर्ड यह समुचित समझता है, विभिन्न पदों के लिए संस्थान की वेबसाइट पर विज्ञापन निकाला जाएगा और समय-समय पर, प्राप्त आवेदनों पर समुचित विभागीय समितियों द्वारा विचार किया जा सकेगा और उनकी सिफारिशें समय-समय पर, अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार समुचित कार्रवाई करने के लिए निदेशक को भेजी जा सकेंगी।

(10) चयन समिति उन सभी व्यक्तियों के प्रत्यय पत्रों की जांच करेगी जिन्होंने आवेदन किया है और चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए या समिति के ध्यान में अन्यथा लाये गये अन्य उपयुक्त नाम, यदि कोई हो, पर भी विचार किया जा सकेगा तथा चयन समिति किसी भी अभ्यर्थी का, जिसे वह ठीक समझे, साक्षात्कार ले सकेगी और अध्यक्ष के अपने विवेकानुसार सभी या कुछ अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा या परीक्षाएं, जिनके अन्तर्गत मौखिक प्रस्तुति है, जैसा अध्यक्ष उचित समझे, करवा सकेगी और यथास्थिति, बोर्ड या निदेशक को योग्यता के क्रम में क्रमबद्ध करके चयनित अभ्यर्थियों के नामों सहित अपनी सिफारिशें करेगी:

परंतु उपरोक्त उप-परनियम (3) के खंड (ख) के अधीन गठित चयन समिति तीन वर्ष की आरम्भिक अवधि के लिए, जिसे दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकेगा, संविदा पर किसी अभ्यर्थी को बाह्य काडर सहायक आचार्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी की सिफारिश कर सकेगी।

(11) किसी चयन समिति का कोई कार्य या कार्यवाही चयन समिति के किसी सदस्य के या सदस्यों की उपस्थिति के मात्र आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी:

परंतु यदि चयन समिति की कोई बैठक आवश्यक पाई जाती है तो कुलसचिव चयन समिति के सदस्यों को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले बैठक की सूचना देगा।

(12) इन परिनियमों के अधीन जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, किसी पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति उस पद के संबंध में अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तब तक पात्र होगी जब तक नियुक्ति नहीं कर दी जाती है।

(13) संस्थान के अधीन संकाय और शैक्षणिक पदों से भिन्न, किसी पद के लिए आवेदन करने वाला अभ्यर्थी ऐसी आवेदन फीस से प्रभारित होगा जो समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए:

परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों और विस्थापित व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को आवेदन फीस के संदाय में ऐसी छूट प्रदान की जा सकेगी जो समय-समय पर, बोर्ड या समिति द्वारा विनिश्चित की जाए।

(14) संस्थान के अधीन किसी पद के लिए साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा यात्रा भत्ता संदत्त किया जा सकेगा जो इस निमित्त समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए।

(15) संस्थान में की गई सभी नियुक्तियां बोर्ड की अगली बैठक में बोर्ड को रिपोर्ट की जाएंगी

स्थायी संकर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें

15. संस्थान के स्थायी संकर्मचारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित स्थायी संकर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें होंगे, अर्थात्:-

(1) प्रत्येक नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि नियुक्त किए गए व्यक्ति को बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्वस्थ तथा भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य हो, प्रमाणित है:

परंतु बोर्ड पर्याप्त कारणों से किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग में ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाएं, के अधीन रहते हुए, चिकित्सा सम्बन्धी अपेक्षाओं को शिथिल कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थानों के अधीन ऐसे पदों पर सभी नियुक्तियां मामूली तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर की जाएंगी जिस अवधि के पश्चात्, नियुक्त किया गया व्यक्ति, यदि पुष्ट हो जाता है तो इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन रहते हुए अपना पद उस मास के अन्त तक धारण करता रहेगा जिसमें वह समय-समय पर, परिषद और/या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिश्चित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेता है:

परंतु जहां बोर्ड यह समझता है कि छात्रों के हित में और पी.एच.डी. के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की शिक्षा और मार्गदर्शन के प्रयोजन के लिए, शैक्षणिक संकर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य पुनःनियोजित किया जाना चाहिए तो बोर्ड ऐसे सदस्य को सेमेस्टर या शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक, जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाए, ऐसे सदस्य को पुनर्नियोजित कर सकेगा:

परंतु यह और कि जहां, यथास्थिति, सेमेस्टर या शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से आगे किसी ऐसे सदस्य को पुनर्नियोजित करना आवश्यक हो जाता है वहां बोर्ड विजिटर के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे किसी सदस्य को ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक समझी जाए, पुनर्नियोजित कर सकेगा और किसी भी दशा में उस शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से आगे नहीं, जिसमें वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है परंतु यह भी कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा सदस्य पीएचडी कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों के शिक्षण और मार्गदर्शन के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए पुनर्नियोजित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी संकर्मचारी द्वारा किसी भी समय बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने पर, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून की सूचना देकर केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अपने संकर्मचारियों के लिए समय-समय पर, अधिकथित निबंधनों और शर्तों पर सेवानिवृत्त हो सकेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसी अवधि के लिए, जैसी आवश्यक पायी जाए, किन्तु दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति की परीवीक्षा की अवधि को बढ़ाने की शक्ति होगी परंतु यदि परीवीक्षा की विस्तारित अवधि के पश्चात् नियुक्त किया गया व्यक्ति न तो पुष्ट किया गया है और न ही उसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, वह उसके पश्चात् तीसवें दिन पुष्ट किया हुआ समझा जाएगा।

(5) संस्थान का संकर्मचारी अपना पूर्ण समय संस्थान की सेवा में लगाएगा और किसी ऐसे व्यापार या कारबार या किसी अन्य कार्य में, जो उसके कर्तव्यों के उचित निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न करे, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नहीं लगेगा परंतु यह वर्जन निदेशक के पूर्व अनुमति से या समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार किए गए शैक्षणिक कार्य और परामर्शी व्यवसाय को लागू नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी को परीवीक्षा की अवधि के दौरान संकर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य की सेवाओं को बिना सूचना और उनके लिए कोई कारण बताए बिना समाप्त करने की शक्ति होगी।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास के वेतन के संदाय पर, यदि, बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो जाता है, सेवा में उसका प्रतिधारण ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवांछनीय समझा गया है, संकर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य की सेवाएं समाप्त करने की शक्ति होगी।

(8) बोर्ड को, सम्बद्ध व्यक्ति को छह मास की लिखित में सूचना देकर या उसके बदले में छह मास के वेतन का संदाय करने पर, छंटनी या किफायत के आधारों पर संकर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य की सेवाएं समाप्त करने की शक्ति होगी।

(9) संस्थान का कोई संकर्मचारी नियुक्त प्राधिकारी को तीन मास की सूचना देकर अपनी नियुक्ति समाप्त कर सकेगा परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, या तो इस अवधि को कम कर सकेगा या सम्बद्ध संकर्मचारी से उस शैक्षणिक सत्र, जिसमें सूचना प्राप्त होती है, की समाप्ति तक बने रहने की अपेक्षा कर सकेगा।

(10) संस्थान में नियुक्त संकर्मचारिवृन्द का सदस्य निलम्बित किया जा सकेगा या परिनियमों या दोनों में बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरम्भ की जा सकेंगी।

(11) संस्थान के संकर्मचारी बोर्ड द्वारा समय-समय पर, अधिकथित वेतन के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे।

(12) संस्थान के संकर्मचारी परिषद के पूर्व अनुमोदन से स्वयं पर और अपने कुटुम्बों पर उपगत चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे।

(13) संस्थान के संकर्मचारी आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे।

(14) संस्थान के किसी वर्ग के संकर्मचारी, जो दीर्घावकाश के लिए हकदार हैं, के बारे में निर्णय परिषद द्वारा किया जाएगा।

**अस्थायी
संकर्मचारियों की
सेवा के निबंधन और
शर्तें**

16.(1) अस्थायी संकर्मचारी की सेवा या तो संकर्मचारी द्वारा नियुक्त प्राधिकारी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा संकर्मचारी को लिखित में सूचना देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और ऐसी सूचना की अवधि एक मास की होगी जब तक कि संस्थान और संकर्मचारी द्वारा अन्यथा सहमति न हो जाए।

(2) ऐसे संकर्मचारी की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो उसके नियुक्ति पत्र में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं। ऐसे संकर्मचारियों की सेवा अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो उसकी नियुक्ति के पत्र में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

**संविदा पर
नियुक्ति**

17. (1) इन परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड विशेष परिस्थितियों में, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि, जिसमें अगली अवधि के नवीकरण का उपबंध भी होगा, के लिए संविदा पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

परन्तु प्रत्येक ऐसी नियुक्ति और उसके निबंधन परिषद के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे।

(2) अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड किसी व्यक्ति को विहित वेतन मानों में तथा सुसंगत पदों को लागू निबंधन और शर्तों पर, अतिरिक्त अवधि के नवीकरण के उपबंध सहित पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्तियां करने के लिए, अध्यक्ष अपने विवेकानुसार ऐसी तदर्थ चयन समितियों का गठन कर सकेगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो।

**सेवानिवृत्ति
फायदे**

18. अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम, साधारण भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-उपदान स्कीम और परिभाषित अभिदान पेंशन स्कीम (नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी) संस्थान के संकर्मचारियों के लिए गठित की जाएगी, चलायी जाएगी और प्रशारित भी की जाएगी।

**दीर्घावकाश
और छुट्टी**

19. (1) संस्थान का प्रत्येक संकर्मचारी दीर्घावकाश और छुट्टी के लिए हकदार होगा।

(2) जब किसी अन्य संस्थान या किसी अन्य विश्वविद्यालय या किसी राज्य विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य संस्थान या संगठन से कोई संकर्मचारी संस्थान या किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पदग्रहण करता है तो ऐसे पदग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख को और छुट्टी के संचयन की विहित सीमा के अधीन रहते हुए संस्थान या केन्द्रीय विश्वविद्यालय में उसके खाते में छुट्टी अग्रणीत की जाएगी और उसके खाते में जमा की जाएगी:

परन्तु इस प्रयोजन के लिए राज्य विश्वविद्यालय या केन्द्रीय या राज्य सरकार का कोई अन्य संस्थान या संगठन, जिससे कोई संकर्मचारी संस्थान में पदग्रहण करता है, अग्रणीत की जाने वाले ऐसी छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन दायित्व का निर्वहन करेगा।

संकर्मचारिवृन्द
के लिए निवास
स्थान

यात्रा भत्ता

20. संस्थान के संकर्मचारी संस्थान के परिसर के भीतर गृह आबंटन, यदि कोई उपलब्ध हो, के लिए पात्र होंगे।

21. (1) बोर्ड के सदस्यों और संस्थान के अन्य प्राधिकारियों तथा अधिनियम या इन परिनियमों के अधीन गठित समितियों के सदस्य या सरकारी संकर्मचारी और संस्थान के संकर्मचारियों से भिन्न संकर्मचारी, जिन्हें बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया है, प्राधिकारियों तथा समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तों के लिए हकदार होंगे जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर, अधिकथित किए जाएं।

(2) बोर्ड के सदस्य और संस्थान तथा समितियों के अन्य प्राधिकारी, जो सरकार के संकर्मचारी भी हैं, उस स्रोत से यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता, जिससे वे उनको अनुज्ञेय दरों पर अपने वेतन प्राप्त करते हैं:

परंतु यदि, सदस्यों द्वारा अपेक्षित हो, संस्थान सम्बद्ध सदस्यों को, समय-समय पर, यथा अधिकथित यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता की प्रतिपूर्ति करेंगे यदि वे यह घोषणा करते हैं कि वे किसी अन्य स्रोत से यात्रा भत्ते या महंगाई भत्ते का दावा नहीं करते हैं।

विभाग, केन्द्र
और सेवा केन्द्र

22.(1) संस्थान में निम्नलिखित विभाग होंगे, अर्थात्:-

- (क) अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र
- (ख) अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान
- (ग) अनुप्रयुक्त भू-भौतिकी
- (घ) अनुप्रयुक्त गणित
- (ङ) अनुप्रयुक्त भौतिकशास्त्र
- (च) रसायन इंजीनियरी
- (छ) सिविल इंजीनियरी
- (ज) कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी
- (झ) विद्युत इंजीनियरी
- (ञ) इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी
- (ट) पर्यावरण सम्बन्धी विज्ञान
- (ठ) इंजीनियरी
- (ड) मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान
- (ढ) प्रबन्ध अध्ययन
- (ण) यांत्रिकी इंजीनियरी
- (त) खनन इंजीनियरी
- (थ) खनन मशीनरी इंजीनियरी
- (द) पेट्रोलियम इंजीनियरी

परंतु बोर्ड सीनेट की सिफारिश पर किसी विभाग को सृजित कर सकेगा या उपांतरित कर सकेगा या समाप्त कर सकेगा या उसे किसी अन्य विभाग में विलय कर सकेगा।

(2) संस्थान में निम्नलिखित शैक्षणिक और सेवा केन्द्र होंगे, अर्थात्:-

(क) नवाचार, उष्मायन तथा उद्यमिता केन्द्र	शैक्षणिक केन्द्र
(ख) नवीकरणीय ऊर्जा	शैक्षणिक केन्द्र
(ग) सुरक्षा व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंध में उत्कर्ष केन्द्र	शैक्षणिक केन्द्र
(घ) शुद्ध कोयला प्रौद्योगिकी केन्द्र	शैक्षणिक केन्द्र
(ङ) जल संसाधन प्रबंध केन्द्र	शैक्षणिक केन्द्र
(च) खनन प्रौद्योगिकी में उत्कर्ष केन्द्र	शैक्षणिक केन्द्र
(छ) जल और स्वच्छता मुख्य संसाधन केन्द्र	शैक्षणिक केन्द्र
(ज) शुद्ध कोयला और ऊर्जा प्रौद्योगिक सम्बन्धी आस्ट्रेलिया-भारत संयुक्त अनुसंधान केन्द्र	शैक्षणिक केन्द्र
(झ) कार्यकारी विकास केन्द्र	शैक्षणिक केन्द्र
(ञ) केन्द्रीय पुस्तकालय	शैक्षणिक सेवा केन्द्र
(ट) कम्प्यूटर केन्द्र	शैक्षणिक सेवा केन्द्र
(ठ) उद्योग संस्थान अन्योन्यक्रिया सुविधा, कोलकाता	शैक्षणिक सेवा केन्द्र
(ड) उद्योग संस्थान अन्योन्यक्रिया सुविधा, नई दिल्ली	शैक्षणिक सेवा केन्द्र
(ढ) केन्द्रीय अनुसंधान सुविधा	शैक्षणिक सेवा केन्द्र
(ण) सामाजिक मिशन केन्द्र	सेवा केन्द्र

परंतु बोर्ड, सीनेट की सिफारिश पर, किसी केन्द्र या सेवा केन्द्र की स्थापना कर सकेगा या उसको समाप्त कर सकेगा या उसे किसी अन्य केन्द्र या सेवा केन्द्र के विभाग में विलय कर सकेगा या उसे किसी विभाग में संपरिवर्तित कर सकेगा।

विभागाध्यक्ष

23. (1) संस्थान का प्रत्येक विभाग ऐसे प्रधान के भार साधन में रखा जाएगा जो आचार्यों और सह-आचार्यों में से निदेशक द्वारा ऐसी रीति में चुना जाएगा जो समय-समय पर, बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए।

संस्थान का प्रत्येक केन्द्र या स्कूल या सेवा केन्द्र ऐसे प्रधान के भार साधन में रखा जाएगा जो आचार्यों या सह-आचार्यों, केन्द्र या स्कूल या सेवा केन्द्र या किसी सजातीय विभाग या केन्द्र या स्कूल में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारियों या प्रधान वैज्ञानिक अधिकारियों, मुख्य डिजाइन इंजीनियरों या प्रधान डिजाइन इंजीनियरों या पुस्तकालयाध्यक्ष में से निदेशक द्वारा ऐसी रीति में, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर, अधिकथित की जाए, चुना जाएगा:

परंतु जब निदेशक की राय में परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाए तो निदेशक स्वयं किसी विभाग या केन्द्र या स्कूल या सेवा केन्द्र का अस्थायी कार्यभार स्वयं ले सकेगा या उसे किसी अन्य

विभाग या केन्द्र से उप-निदेशक या किसी आचार्य के भार साधन के अधीन छह मास से अनधिक की अवधि के लिए रख सकेगा।

(2) विभाग या केन्द्र या स्कूल या सेवा केन्द्र का प्रधान, निदेशक के साधारण नियंत्रणाधीन रहते हुए विभाग या केन्द्र या स्कूल या सेवा केन्द्र के कार्यकरण के प्रति जिम्मेदार होंगे।

(3) विभाग या केन्द्र या स्कूल या सेवा केन्द्र के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह यह अवलोकन करे कि संस्थान के प्राधिकारियों और निदेशक के विनिश्चयों का पालन निष्ठापूर्वक किया जाता है। वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं।

**अध्येतावृत्तियों,
छात्रवृत्तियों, छात्र
सहायता वृत्तियों,
पदकों एवं पुरस्कारों
की स्थापना**

24. परिषद के विनिश्चयों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिकथित नीतियों से संगत, संस्थान, अभिस्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान एवं पोस्ट डोक्टोरल छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु दिए जाने वाली वृत्तिकाओं, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र सहायता वृत्तियों, पदकों, पुरस्कारों और अन्य ऐसे पुरस्कारों को स्थापित करेगा और प्रदान करेगा जिन्हें अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाए।

**फीस और फीस
में छूट दिया
जाना**

25. (1) संस्थान अभिस्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान एवं पोस्ट डोक्टोरल छात्रों से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए उतनी फीस प्रभारित करेगा जो परिषद के विनिश्चयों तथा समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित नीतियों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए।

परन्तु संस्थान, बोर्ड के विनिश्चय के अनुसार, केन्द्रीय सरकार की नीतियों तथा परिषद के समय-समय पर, जारी किए गए निदेशों से संदत्त छात्रों और शोधकर्ताओं को फीस में छूट भी प्रदान करेगा।

(2) फीस के जमा करने की प्रक्रिया विलम्ब जुर्माना संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों के नामावलियों से नामों का प्रविष्ट किया जाना या हटाया जाना तथा ऐसा अन्य विषय, जो सीनेट द्वारा विनिश्चित किया जाए, अध्यादेशों में अधिकथित किए जाएंगे।

छात्रावास

26.(1) (क) संस्थान छात्रावास बनाएगा और उनका रख-रखाव करेगा और छात्र, जिनमें शोध छात्र भी हैं, संस्थान में निर्मित छात्रावासों में निवास कर सकेंगे और संस्थान समय-समय पर, इस प्रयोजन के लिए अध्यादेश बना सकेगा।

(ख) ऐसे छात्रों को, जो छात्रावासों में निवास नहीं करते हैं, किसी ऐसे प्रभार का, जो छात्रावासों में निवास कर रहे छात्रों से वसूलनीय होता है, उदाहरणार्थ स्थापन प्रभार, भोजनालय, सहायिका प्रभार, कक्ष किराया, बिजली प्रभार आदि का संदाय नहीं करना पड़ेगा।

(2) छात्रावासों में निवास कर रहा प्रत्येक छात्र और वे छात्र, जो संस्थान के प्रांगण से बाहर रह रहे हों, इस प्रयोजन के लिए सीनेट द्वारा अधिकथित स्थायी आदेशों के अनुरूप होंगे।

(3) प्रत्येक छात्रावास के लिए एक मुख्य संरक्षक हो सकेगा और संरक्षकों या सहायक संरक्षकों और अन्य संकर्मचारिवृन्दों की वह संख्या होगी जो बोर्ड द्वारा अधिकथित की जाए तथा छात्रावास में मुख्य संरक्षक, संरक्षक या सहायक संरक्षक तथा अन्य संकर्मचारिवृन्दों की नियुक्ति की प्रक्रिया, सुविधाओं, यदि कोई हों, की हकदारी और उनको संदेय भत्ते, यदि कोई हों, वे होंगे जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

**मानद उपाधियों का
प्रदान किया जाना**

27. मानद उपाधियों के प्रदान किए जाने के लिए सभी प्रस्ताव सीनेट द्वारा किए जाएंगे और उनको पुष्टि के लिए विजिटर को प्रस्तुत करने से पहले बोर्ड की सहमति अपेक्षित होगी।

[फा. सं. 23-3/2016-टीएस-1]

आर. सुब्रमन्यम, अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23 June, 2017

G.S.R. 632(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (d) of section 6 read with sub-section (1) of section 27 of the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961), the Council after review and approval of the Visitor hereby makes the following First Statutes, namely:—

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY**(INDIAN SCHOOL OF MINES)****DHANBAD****STATUTES**

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Short title and Commencement. | <p>1. (1) These Statutes may be called the first statutes of the Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, 2017.</p> <p>(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.</p> |
| Definitions. | <p>2. (1) In these Statutes unless the context otherwise requires -</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) “Act” means the Institutes of Technology Act, 1961 (59 of 1961) (b) “Authorities”, “Officers” and “Professors” respectively means the authorities, officers and professors of the Institute; (c) “Building and Works Committee” means the Building and Works Committee of the Institute; (d) “Centre” or “School” means an Academic Centre or School so established to carry out and facilitate academic or research activities or both leading to Bachelor’s or Master’s or Ph.D. degree; (e) “Central Government” means the Government of India; (f) “Chief Warden” in relation to the Hostels, means the Chief Warden thereof; (g) “Dean” means the Dean appointed by the Director; (h) “Department” means an Academic Department established to impart instructions and for carrying out research activities leading to Bachelor’s or Master’s degree or both and Ph.D. degrees; (i) “Finance Committee” means the Finance Committee of the institute; (j) “Head” in relation to a Department or Centre or School means the Head thereof; (k) “Hostel” means a Hostel for the residence of the students of the Institute ; (l) “Institute” means the Institute known as the Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad, incorporated under the Act; (m) “Ordinances” means the Ordinances of the Institute; (n) “Senate” means the Senate of the Institute; (o) “Service Centre” means an Academic Service Centre so established to provide infrastructural or scientific or both and technical support to further and enhance academic and research activities; (p) “Warden” in relation to a Hostel of the Institute means a Warden thereof <p>2 (2) Words and expressions used herein and not defined or defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.</p> |

- Board of Governors.** 3 (1) The Board shall lay down norms consistent with the overall policy frame work issued by the Central Government in regard to the following, namely:-
- (i) industrial consultancy;
 - (ii) collaboration with Foreign and Indian Educational and Research Institutions;
 - (iii) acceptance of Donations;
 - (iv) academic Support to other Technical Institutions.
- (2) The Board shall lay down the policy regarding the limit of expenditure to be incurred and the approval thereof in case of minor and capital works and repair and maintenance of estate and works.
- Meeting.** 4. The procedure for the constitution and the meetings of the Board shall be as follows, namely:-
- (a) The bodies entitled to nominate or elect representatives on the Board shall be invited by the Registrar to do so within a reasonable time not ordinarily exceeding eight weeks from the date on which he issues such invitations and the same procedure shall be followed for filling casual vacancies on the Board.
 - (b) The Board shall meet as often as may be necessary but not less than twice during a calendar year.
 - (c) Meetings of the Board shall be convened by the Chairman either on his own initiative or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than three members of the Board.
 - (d) Four members including one member from outside the Institute shall form a quorum for a meeting of the Board:
- Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on such a day, time and place, as the Chairman may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the time appointed for holding a meeting, the members present shall be a quorum.
- (e) All questions considered at the meetings of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present including the Chairman and if the votes be equally divided, the Chairman shall have a second or casting vote.
 - (f) The Chairman, if present, shall preside at every meeting of the Board and in his absence, the members present shall elect one from amongst themselves to preside at the meeting.
 - (g) A written notice of every meeting shall be sent by the Registrar to every member at least three weeks before the date of the meeting and the notice shall state the place, the date and time of the meeting:
- Provided that the Chairman may call a special meeting of the Board at short notice to consider urgent special issues.
- (h) The notice may be delivered either by hand or by speed or registered post at the address of each member as recorded in the office of the Board or by email and if so sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post.
 - (i) Agenda shall be circulated by the Registrar to the members at least ten days before the meeting.
 - (j) Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least one week before the meeting and the Chairman may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.
 - (k) The ruling of the Chairman in regard to all questions of procedure shall be final.

- (l) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be drawn up by the Registrar with the approval of the Chairman and circulated to all members of the Board present in India and the minutes along with amendments, if any suggested, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Board and after the minutes are confirmed and signed by the Chairman, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Board and the Council at all times during office hours.
- (m) If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Board he shall cease to be a member of the Board.
- (n) The Board may delegate such of its powers to the Director, as may be deemed appropriate by it, however, the Director shall report to the Board of the action taken by him at its next meeting.

Authentication of orders and decisions of the Board.

5. All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Registrar or any other person authorised by the Board in this behalf.

Senate.

6. (1) In addition to the persons mentioned in section 14 of the Act, the following shall be the members of the Senate, namely:-
- (a) the Heads of the Departments or Academic Centres or Schools other than Professors, as are not members of the Senate;
 - (b) the Deans and Associate Deans other than Professors, as are not members of the Senate;
 - (c) the Librarian of the Institute;
 - (d) one Chief Warden by rotation to be nominated by the Director for a period of one year;
 - (e) not more than six other members of the academic staff for their special knowledge appointed by the Chairman after consultation with the Director for such period as may be specified by the Chairman.
- (2) Subject to the provisions of the Act, the Senate shall have the power to:-
- (a) frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various Departments or Academic Centres or Schools;
 - (b) make arrangements for the conduct of examinations, appoint examiners, moderators, tabulators and the like;
 - (c) declare the results of the examinations or to appoint Committees or officers to do so and to make recommendations to the Board regarding conferment or grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles;
 - (d) appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for the Departments and the Academic Centres or Schools of the Institute to make recommendation on academic matters connected with the working of the Department or Academic Centre or School and the Head of the Department concerned shall act as convenor of such Committees;
 - (e) appoint Committees from amongst the members of the Senate, other teachers of the Institute and experts from outside to advise on such specific academic matters as may be referred to any such Committee by the Senate;
 - (f) consider the recommendations of the Advisory Committee attached to various Departments or Academic Centres or Schools and that of Expert and other committees and take such action (including the making of recommendations to the Board) as circumstances of each may require;
 - (g) make periodical review of the activities of the Departments and take appropriate

- action (including the making of recommendations to the Board);
- (h) supervise the working of the Library;
 - (i) promote research within the Institute and require reports on such research from the persons engaged thereon;
 - (j) provide for the inspection of the classes and the Hostels in respect of the instructions and discipline therein, supervise the co-curricular activities of the students of the Institute and submit reports thereon to the Board;
 - (k) award stipends, scholarships, fellowships, medals and prizes and make other awards in accordance with the Ordinances and such other conditions as may be attached to the award;
 - (l) make recommendations to the Board with regard to the creation of posts on the academic staff and the abolition thereof, and duties attached to such posts;
 - (m) make recommendations to the Board with regard to the establishment of the Departments or Centres or Schools or Service Centres and the abolition thereof, and the allocation of academic and other staff to such Academic Departments or Centres or Schools or Service Centres;
 - (n) provide support to other technical institutions in furtherance of their academic standards;
 - (o) outreach through distance learning mode to enhance the academic and research productivity of the Institute.
- (3) The Senate shall meet as often as necessary, but not less than four times during a calendar year.
- (4) (a) Meetings of the Senate shall be convened by the Chairman of the Senate either on his own initiative or on a requisition signed by not less than 20% of the members of the Senate.
- (b) The requisitioned meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which requisition is made. The requisitioned meeting shall be convened by the Chairman of the Senate on date and time convenient to him within fifteen days of the notice given for such a requisition.
- (5) One third of the total number of members of the Senate shall form a quorum for a meeting of the Senate.
- (6) The Director, if present, shall preside at every meeting of the Senate. In his absence, the Deputy Director shall preside and in the absence of both the Director and the Deputy Director, the senior-most of the Deans present shall preside at the meeting. In case none of the Deans are present, the senior-most of the Professors present shall preside at the meeting.
- (7) A written notice of every meeting, together with the agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Senate at least a week before the meeting and the Chairman of the Senate may permit inclusion of any item for which due notice could not be given.
- (8) Notwithstanding the provisions of sub-statute (7), the Director may call an emergency meeting of the Senate at short notice to consider urgent special issues.
- (9) The ruling of the Chairman of the Senate in regard to all questions of procedure shall be final.
- (10) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Registrar with the approval of the Chairman of the Senate and circulated to all the

members of the Senate present in India:

Provided that any such minute shall not be circulated if the Senate considers such circulation prejudicial to the interests of the Institute and the minutes along with amendments, if any suggested, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Senate and after the minutes are confirmed and signed by the Chairman of the Senate, they shall be recorded in the minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Senate, the Board and the Council at all times during office hours.

- (11) In emergent cases the Chairman of the Senate may exercise the powers of the Senate and report to the Senate of the action taken by him at its next meeting for its approval.

Finance Committee.

7. (1) The Finance Committee, shall be an authority of the Institute within the meaning of section 10 of the Act and it shall consist of the following members, namely:-
- (a) the Chairman, ex officio, who shall be the Chairman of the Finance Committee;
 - (b) two persons nominated by the Central Government;
 - (c) three persons nominated by the Board, and
 - (d) the Director.
- (2) (a) The term of office of a member nominated under clauses (b) and (c) of sub-statute (1) above shall be three years from the 1st day of January of the year in which he is nominated.
- (b) The term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been nominated.
- (3) The Finance Committee shall perform the following functions, namely:-
- (a) to examine and scrutinise the annual budget of the Institute prepared by the Director and make recommendations to the Board;
 - (b) to give its views and make its recommendations to the Board either on the initiative of the Board or of the Director, or on its own initiative of any financial question affecting the Institute;
 - (c) to consider and make its recommendations to the Board on all such matters connected with the Institute as have financial implications.
- (4) The Finance Committee shall meet as often as may be necessary but at least twice a year.
- (5) Three members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee.
- (6) The Chairman, if present, shall preside at the meeting of the Finance Committee and in his absence, the members present shall elect one from amongst themselves to preside at the meeting.
- (7) The provisions in the above Statutes regarding notices of the meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall, so far as may be, be applicable in connection with the meetings of the Finance Committee.
- (8) A copy of the minutes of every meeting of the Finance Committee shall be sent to the Board.

Building and Works Committee.

- (9) In emergent cases, the Chairman may exercise the powers of the Finance Committee and report the action taken by him at the next meeting of the Finance Committee for its approval.
8. (1) The Building and Works Committee shall be an authority of the Institute within the meaning of section 10 of the Act and it shall consist of the following members, namely:-
- (a) the Director, ex-officio, who shall be the Chairman of the Building and Works Committee;
 - (b) the Deputy Director, ex officio;
 - (c) the Professor in Charge Estate and Works, ex-officio;
 - (d) one person nominated by the Central Government;
 - (e) one Civil Engineer, not below the rank of Superintending Engineer, nominated by the Board from a Government Department or Agency;
 - (f) one Electrical Engineer, nominated by the Board from a Government Department or Agency;
 - (g) three Professors of the Institute with relevant specialisations, to be nominated by the Board;
 - (h) the Institute Engineer, Ex-officio;
 - (i) the Registrar, Ex-officio Secretary.
- (2) (a) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member.
- (b) The term of office of a member nominated under clauses (d), (e), (f) and (g) of sub-statute (1) above shall be two years from the 1st day of January of the year in which he is nominated.
- (3) The Building and Works Committee shall perform the following functions and have the following powers, namely:-
- (a) it shall be responsible under the direction of the Board for construction of all major capital works after securing from the Board the necessary administrative approval and expenditure sanction;
 - (b) it shall have the power to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to maintenance and repairs, within the expenditure limit approved by the Board and within the grant placed at the disposal of the Institute for the purpose;
 - (c) it shall cause to be prepared estimates of cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like;
 - (d) it shall be responsible for making technical scrutiny as may be considered necessary by it;
 - (e) it shall be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give direction for departmental works where necessary;
 - (f) it shall have the powers to settle rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors.
- (4) The Building and Works Committee shall perform such other functions in the matter of construction of buildings and development of land for the Institute as the Board may entrust to it from time to time.
- (5) In emergent cases, the Chairman of the Building and Works Committee may exercise the powers of the Building and Works Committee and such cases shall be reported by him to the Building and Works Committee at its next meeting.

- (6) The Building and Works Committee shall meet as often as is necessary, but not less than twice a year.
- (7) Three members shall form a quorum for a meeting of the Building and Works Committee.
- (8) The provisions in these Statutes regarding notices of meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall, so far as may be, be applicable in connection with the meetings of the Building and Works Committee.
- (9) A copy of the minutes of every meeting of the Building and Works Committee shall be sent to the Board.

Chairman.

9. (1) The Chairman shall have the power to fix on the recommendations of the Selection Committee, the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale in respect of posts to which appointments can be made by the Board under the provisions of the Act.
- (2) The Chairman shall have the power to send members of the staff of the Institute for training or for a course of instruction outside India subject to such terms and conditions as may be laid down by the Board from time to time.
- (3) The Chairman shall execute the Contract of Service between the Institute and the Director:

Provided that the Chairman shall not be personally liable in respect of anything under such contract.
- (4) In emergent cases, the Chairman may exercise the powers of the Board and inform the Board of the action taken by him for its approval in its next meeting.

Director.

10. (1) The Director appointed, under the provisions of Section 17 (1) of 'The Institutes of Technology Act, 1961' as amended from time to time, by the Council with the prior approval of the Visitor, on contract for a period of five years or till he or she attains the age of seventy (70) years, whichever is earlier shall have power to incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down by the Board from time to time subject to the budget provisions made for the specific purpose.
- (2) The Director shall have the power to reappropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to such limit for each item as may be determined by the Board from time to time:

Provided that such reappropriation shall not involve any liability in future years. Every such reappropriation shall, as soon as possible, be reported to the Board.
- (3) The Director shall have the power to waive recovery of overpayment up to such limit as may be determined by the Board from time to time, made to a member of the staff, not detected within twenty-four months of payment. Every such waiver shall, as soon as possible, be reported to the Board.
- (4) The Director shall have the power to write off irrecoverable losses and irrecoverable value of stores lost or rendered unserviceable due to fair, wear and tear on the recommendation of a Standing Committee appointed by the Board for such purpose subject to such financial limit, as may be specified by the Board from time to time.
- (5) The Director shall have the power to fix, on the recommendation of the Selection Committee, the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale, but not involving more than five increments, in respect of such posts to which appointment can be made by him as stipulated by the Board in accordance with the Act.

- (6) The Director shall have the power to employ technicians and workmen paid from contingencies involving such emoluments as may be stipulated by the Board from time to time.
- (7) The Director shall have the power to send the members of the staff for training or for a course of instruction inside India subject to such terms and conditions as may be laid down by the Board from time to time.
- (8) The Director shall have the power to sanction remission or reduction of rent for buildings rendered wholly or partially unsuitable.
- (9) The Director shall have the power to sanction temporary allocation of any building for any purpose other than that for which it was constructed.
- (10) In exceptional cases, subject to availability of funds, the Director shall have the power to create temporary posts with the approval of the Chairman, of not more than two years' duration on approved scales of pay under report to the Board provided that no such post, of which the Director is not the appointing authority, shall be so created.
- (11) The Director shall have the power of a Head of Department for purposes of rules in the Account Code, the Fundamental and Supplementary Rules and other rules of the Government in so far as they are applicable or may be made applicable to the conduct of the business of the Institute.
- (12) If, for any reason, the Registrar is temporarily absent for a period not exceeding one month, the Director may take over, or assign to any member of the staff of the Institute, any of the functions of the Registrar as he deems fit:

Provided that if, at any time, the temporary absence of the Registrar exceeds one month the Board may, if it thinks fit, authorize the Director to take over or assign the function of the Registrar as aforesaid, for a period exceeding one month.
- (13) The Director may, during his absence from the headquarters, authorise the Deputy Director or one of the Deans or the senior most Professor present, to sanction advances for travelling allowance, contingencies and medical treatment of the staff and sign and countersign bills on his behalf and authorise him for assuming such powers of the Director as may be specifically delegated to the Deputy Director or one of the Deans or the senior most Professor present, by him in writing.
- (14) The Director may, at his discretion, constitute such Committees as he may consider appropriate.
- (15) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairman by reason of his death, resignation, or otherwise or in the event of the Chairman being unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Director may discharge the functions assigned to the Chairman under Statute 9.

Deputy Director.

11. (1) The Deputy Director shall be appointed by the Director from amongst the Professors of the Institute with the prior approval of the Chairman, on such terms and conditions as may be decided by the Board from time to time and the Deputy Director shall be entitled to additional monetary benefit as may be prescribed/approved by the Government of India, from time to time.
- (2) The Deputy Director shall assist the Director in academic and administrative work and in maintaining liaison with other institutions of higher learning and research and also with industrial undertaking and other employers.

Deans.

12. (1) The Director may appoint Deans and Associate Deans to assist him in discharging his duties and responsibilities, in consultation with the Chairman.

- (2) The Deans and Associate Deans shall be appointed by the Director from amongst the teachers for a period of three years and they shall hold their offices at the pleasure of the Director.
- (3) The Deans and the Associate Deans shall be deemed to be the officers of the Institute and will enjoy such powers and perform such duties as may be delegated to them by the Director with the prior approval of the Board and the Associate Deans shall normally assist the respective Deans in the performance of their duties.
- (4) The Deans and Associate Deans shall be entitled to additional monetary benefit as may be prescribed or approved by the Government of India, from time to time.

Classification of the employees of the Institute.

13. (1) Except in the case of employees paid from contingencies, the employees of the Institute shall be classified as:-
 - (a) Academic Staff - which shall include Director, Deputy Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Librarian, Deputy Librarian, Assistant Librarian, System Manager, Senior Programmer, System Analyst, Programmer, Research Engineer or Computer Engineer, Workshop Superintendent, Assistant Superintendent Workshop, Chief Scientific Officer, Principal Scientific Officer, Senior Scientific Officer, Scientific Officer and such other academic posts as may be decided by the Board from time to time.
 - (b) Technical Staff - which shall include Institute or Campus Engineer, Assistant Institute or Campus Engineer, Junior Engineer, Technical Officer, Foreman, Assistant Foreman, Senior Laboratory Assistant, Laboratory Assistant, Senior Technical Assistant, Technical Assistant, Telephone Operator, Driver, Senior Pharmacist, Pharmacist, Staff Nurse, Dresser, Physical Training Instructor, Assistant Coach and such other technical posts as may be decided by the Board from time to time.
 - (c) Administrative and other Staff - which shall include Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Estate Officer, Security Officer, Horticulturist, Public Relations Officer, Chief Medical Officer, Medical Officer, Sports Officer, Assistant Sports Officer, Counsellor, Assistant Counsellor, Personal Secretary, Personal Assistant, Superintendent, Assistant, Upper Divisional Clerk, Lower Divisional Clerk, Senior Stenographer, Stenographer, Senior Store Keeper, Store Keeper, Multitasking Staff and such other administrative and other staff as may be decided by the Board from time to time.
- (2) Notwithstanding the above classification, the Board may map the post or change the classification in accordance with the directions of the Council.

Appointments.

14. (1) All posts at the Institute shall normally be filled by advertisement but the Board shall have the power to decide, on the recommendations of the Director, that a particular post be filled by invitation or by promotion from amongst the members of the staff of the Institute.
- (2) The Institute shall make necessary provisions for the reservation of posts as laid down by the Board in accordance with the directives of the Council from time to time and while making appointments to such posts, the appointing authority shall consistently uphold the maintenance of efficiency of administration and the teaching at the Institute.
- (3) The Selection Committees for filling up of posts under the Institute (other than the posts on contract basis) by advertisement or by promotion from amongst the members of staff of the Institute shall be constituted in the manner laid down below, namely:-
 - (a) In the case of posts of Professors and equivalent posts in scientific, design and computer staff cadres, the Selection Committee shall consist of the following

members, namely:-

- (i) The Director : Chairman;
 - (ii) One nominee of the Visitor : Member;
 - (iii) Two nominees of the Board, one being an expert, but other than a member of the Board. : Members;
 - (iv) One expert, other than a member of the Senate, nominated by the Senate. : Member.
- (b) In the case of posts of Associate Professor, Assistant Professor, equivalent posts in scientific, design and computer staff cadres, and the posts of Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian and such other academic posts as the Board may decide from time to time the Selection Committee shall consist of the following members, namely:-
- (i) The Director : Chairman;
 - (ii) Two nominees of the Board one being an expert, but other than a member of the Board : Members;
 - (iii) One expert, other than a Member of the Senate, nominated by the Senate, and : Member;
 - (iv) The Head of the Department/Academic Centre/School concerned, if the post for which selection is made is lower in status than that occupied by the Head of the Department/Academic Centre/School : Member;
 - (v) The Chairman, Library Advisory Committee of the Institute, for the posts of Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian : Member.
- (c) In the case of posts of Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Institute Engineer, Sports Officer, Assistant Sports Officer, Chief Medical Officer and Medical Officer, the Selection Committee shall consist of the following members, namely:-
- (i) The Director : Chairman;
 - (ii) The Deputy Director : Member;
 - (iii) Two nominees of the Board as Experts : Member;
 - (iv) The Registrar, except for the post of Registrar. : Member.
- (d) In the case of other Group 'A' posts not covered by clause (a), (b) or (c) above and carrying a scale of pay the maximum of which exceeds the amount specified by the Central Government from time to time, the Selection Committee shall consist of the following members, namely:-
- (i) The Director or his nominee : Chairman;
 - (ii) A nominee of the Board : Member;
 - (iii) The Head of the Department/
Centre/School concerned or
Registrar as the case may be : Member;
 - (iv) An expert from the staff of the

Institute nominated by the Director.

: Member.

- (e) In the case of other posts not covered by clause (a), (b), (c) or (d) above and carrying a scale of pay the maximum of which exceeds the amount specified by the Board from time to time, the Selection Committee shall consist of the following members, namely:-

(i) The Director or his nominee : Chairman;

(ii) A nominee of the Board : Member;

(iii) The Head of the Department/
Academic Centre concerned or the

Registrar as the case may be : Member;

(iv) An expert from the staff of the

Institute nominated by the Director : Member.

- (f) In the case of all other posts, the Director may at his discretion, constitute such Selection Committees as may be considered appropriate by him.

Note : 1. The Chairman of a Selection Committee may invite one or more additional experts from approved panels to assist the Selection Committee.

2. The Selection Committee for appointments to the posts reserved for Scheduled Caste or Scheduled Tribe and OBC candidates shall include one SC/ST member and one OBC member, respectively, from a panel approved by the Director.

- (4) In the absence of the Director, any member of the staff of the Institute, who is appointed to perform the current duties of the Director, shall be the Chairman of the Selection Committees in the place of the Director.
- (5) In the absence of the Deputy Director, the Director may nominate any member of the staff of the institute to work on the Selection Committees in his place.
- (6) Where a post is to be filled on contract basis or by invitation, the Chairman may, at his discretion, constitute such ad-hoc Selection Committees, as circumstances of each case may require.
- (7) Where a post is to be filled by promotion from amongst the members of the Institute or temporarily for a period not exceeding twelve months, the Board shall lay down the procedure to be followed.
- (8) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board shall have the power to make appointments of persons trained under “approved” programmes in such manner as it may deem appropriate and the Board shall maintain a schedule of such “approved” programmes.
- (9) If the post is to be filled by advertisement, the terms and conditions of the post shall be advertised by the Registrar and all applications received within the date specified in the advertisement shall be considered by the Selection Committee, provided that the Selection Committee may for sufficient reasons consider any application received after the date so specified:

Provided further that if the Board considers it appropriate, there shall be an advertisement on the website of the Institute for various posts and the applications received from time to time may be considered by the appropriate Departmental Committees and their recommendations sent to the Director for taking appropriate action in accordance with the procedure laid down by the Board from time to time.

- (10) The Selection Committee shall examine the credentials of all persons who have applied and may also consider other suitable names suggested, if any, by a member of

the Selection Committee or brought otherwise to the notice of the Committee and the Selection Committee may interview any of the candidates, as it thinks fit and shall, at the discretion of its Chairman, cause a written test or tests including an oral presentation to be held for all or some of the candidates as the Chairman may think fit, and shall make its recommendations to the Board or the Director, as the case may be, with the names of the selected candidates being arranged in order of merit:

Provided that the Selection Committee constituted under clause (b) of sub-statute (3) above, may recommend a candidate to be appointed as ex-cadre Assistant Professor on Contract for an initial period of three years which may be further extended for a period not exceeding two years.

- (11) No act or proceeding of any Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee:

Provided that, if any meeting of the Selection Committee is found necessary, the Registrar shall give notice of the meeting to the members of the Selection Committee at least a fortnight before the date of the meeting.

- (12) Unless otherwise provided for under these Statutes, a Selection Committee constituted for the purpose of making recommendations for appointment to a post shall be eligible to exercise its functions in relation to that post until the time the appointment is made.

- (13) A candidate applying for a post other than faculty and academic posts under the Institute shall be charged such application fees as may be determined by the Board from time to time:

Provided that the candidates belonging to the Scheduled castes and Scheduled tribes and displaced persons may be granted such concessions in the payment of application fees as may be decided by the Board or Council from time to time.

- (14) Candidates selected for interview for a post under the Institute may be paid such travelling allowance as may be determined by the Board from time to time in this behalf.

- (15) All appointments made at the Institute shall be reported to the Board at its next meeting.

**Terms and
Conditions of
Service of
Permanent
Employees.**

15. The permanent employees of the Institute shall be governed by the following terms and conditions, namely:-

- (1) Every appointment shall be subject to the condition that the appointee is certified as being in sound health and physically fit for service in India by a medical authority nominated by the Board:

Provided that the Board may, for sufficient reasons, relax the medical requirements in any particular case or class of cases, subject to such conditions, if any, as may be laid down by the Board.

- (2) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, all appointments to such posts under the Institutes shall ordinarily be made on probation for a period of one year after which period the appointee, if confirmed, shall continue to hold his office subject to the provisions of the Act and the Statutes, till the end of the month in which he attains the age of superannuation as decided by the Council and/or the Central Government from time to time:

Provided that where the Board considers that in the interest of the students and for the purpose of teaching and guiding the students registered for the Ph.D. programme, any member of the academic staff should be reemployed, it may reemploy such a member till the end of the semester or the academic session as may be considered appropriate in the circumstances of each case:

Provided further that where it becomes necessary to reemploy any such member

beyond the end of the semester or academic session as the case may be, the Board may, with the previous approval of the Visitor, re-employ any such member for such period as may be deemed necessary and in no case exceeding the end of the academic session in which he attains the age of seventy years. Provided also that in no circumstances such member shall be reemployed for any purposes other than those of teaching and guiding the students registered for the Ph.D. programme.

- (3) At any time after an employee has completed twenty years' qualifying service, he may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service on the terms and conditions laid down by the Central Government from time to time for its own employees.
- (4) The appointing authority shall have the power to extend the period of probation of any appointee for such periods as may be found necessary but not exceeding two years, provided that if, after the extended period of probation, the appointee is neither confirmed nor his services terminated, he shall, on the 30th day thereafter, be deemed to have been confirmed.
- (5) An employee of the Institute shall devote his whole time to the service of the Institute and shall not engage, directly or indirectly, in any trade or business or any other work which may interfere with the proper discharge of his duties provided the bar shall not apply to academic work and consultative practice undertaken with the prior permission of the Director, or in accordance with the procedures laid down by the Board from time to time.
- (6) The appointing authority shall have the power to terminate the services of any member of the staff without notice and without any cause assigned thereto during the period of probation.
- (7) The appointing authority shall have the power to terminate the services of any member of the staff by three months' notice or on payment of three months' salary in lieu thereof, if, on medical grounds, certified by the medical authority nominated by the Board, his retention in service is considered undesirable by such appointing authority.
- (8) The Board shall have the power to terminate the services of any member of the staff on grounds of retrenchment or economy by giving to the person concerned six months' notice in writing or on payment of six months' salary in lieu thereof.
- (9) An employee of the Institute may terminate his engagement by giving the appointing authority three months' notice, provided that the appointing authority may for sufficient reasons, either reduce this period or call upon the employee concerned to continue till the end of the academic session in which the notice is received.
- (10) A member of the staff appointed at the Institute may be placed under suspension or disciplinary proceedings may be started against him as per the procedure made in Statutes or both.
- (11) The employees of the Institute shall be entitled to travelling and daily allowances according to the scales laid down by the Board from time to time.
- (12) The employees of the Institute shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on themselves and their families with the prior approval of the Council.
- (13) The employees of the Institute shall be governed by the Conduct rules.
- (14) It shall be for the Council to decide as to the class of employees of the Institute who shall be entitled to vacation.

Terms and

16. (1) The service of a temporary employee shall be liable to termination at any time by

Conditions of Service of Temporary Employees.	<p>notice in writing given either by the employee to the appointing authority, or by the appointing authority to the employee and the period of such notice shall be one month, unless otherwise agreed to by the Institute and the employee.</p> <p>(2) The other terms and conditions of service of such employee shall be such as may be specified by the appointing authority in his letter of appointment.</p>
Appointment on Contracts.	<p>17. (1) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board may, in special circumstances appoint an eminent person on Contract for a period not exceeding five years, with a provision of renewal for further periods:</p> <p>Provided that every such appointment and the terms thereof shall be subject to the prior approval of the Chairman of the Council.</p> <p>(2) Subject to the provisions contained in the Act, the Board may appoint any person on contract in the prescribed scales of pay and on the terms and conditions applicable to the relevant posts for a period not exceeding five years with a provision of renewal for further period and for making such appointments, the Chairman may, at his discretion, constitute such ad-hoc Selection Committees, as the circumstances of each case may require.</p>
Retirement Benefits.	<p>18. A Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme, a General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme and a Defined Contribution Pension Scheme (new pension scheme effective from 1st day of January 2004) shall be constituted, maintained and administered for the employees of the Institute.</p>
Vacation and Leave.	<p>19. (1) Every employee of the Institute shall be entitled to vacation and leave.</p> <p>(2) When an employee joins the Institute or a Central University from any of the other institutes or any Central University or any State University or any other Institute/Organisation of the Central/State Government, the leave to his credit on the date immediately before the date of such joining shall be carried forward and credited to his leave account in the Institute or the Central University subject to the prescribed limit of accumulation of leave:</p> <p>Provided that for this purpose the State University or any other Institute/Organization of the Central/State Government from which an employee joins the Institute will discharge the leave salary liability for such leave to be carried forward.</p>
Residential Accommodation for Staff.	<p>20. The employees of the Institute shall be eligible for allotment of a house within the campus of the Institute, if available.</p>
Travelling Allowance.	<p>21. (1) The members of the Board and other Authorities of the Institute and the members of the Committees constituted under the Act or these Statutes or appointed by the Board and other Authorities, other than Government employees and employees of the Institute, shall be entitled to such travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Authorities and the Committees as may be laid down by the Board from time to time.</p> <p>(2) The members of the Board and other Authorities of the Institute and the Committees, who are Government employees, shall receive travelling allowance and daily allowance from the source from which they draw their salaries at the rates admissible to them:</p> <p>Provided that if, required by the members, the Institute shall reimburse the Travelling allowance or Dearness allowance as laid down by the Board from time to time, to the members concerned if they declare that they shall not claim Travelling allowance or Dearness allowance from any other source.</p>
Departments,	<p>22. (1) The Institute shall have the following Departments, namely:-</p>

Centres and Service Centres.

- (a) Applied Chemistry;
- (b) Applied Geology;
- (c) Applied Geophysics;
- (d) Applied Mathematics;
- (e) Applied Physics;
- (f) Chemical Engineering;
- (g) Civil Engineering;
- (h) Computer Science and Engineering;
- (i) Electrical Engineering;
- (j) Electronics Engineering;
- (k) Environmental Science and Engineering;
- (l) Fuel and Mineral Engineering;
- (m) Humanities and Social Sciences;
- (n) Management Studies;
- (o) Mechanical Engineering;
- (p) Mining Engineering;
- (q) Mining Machinery Engineering;
- (r) Petroleum Engineering;

Provided that the Board may, on the recommendation of the Senate create or modify or abolish any Department or merge it with another Department.

(2) The Institute shall have the following Academic and Service Centres, namely:-

- | | |
|---|--------------------------|
| (a) Centre for Innovation, Incubation and Entrepreneurship | Academic Centre; |
| (b) Centre for Renewable Energy | Academic Centre; |
| (c) Centre of Excellence in Safety, Occupational Health and Disaster Management | Academic Centre; |
| (d) Centre for Clean Coal Technology | Academic Centre; |
| (e) Centre for Water Resource Management | Academic Centre; |
| (f) Centre of Excellence in Mining Technology | Academic Centre; |
| (g) Key Resource Centre for Water And Sanitation | Academic Centre; |
| (h) Australia-India Joint Research Centre on Clean Coal & Energy Technology | Academic Centre; |
| (i) Executive Development Centre | Academic Centre; |
| (j) Central Library | Academic Service Centre; |
| (k) Computer Centre | Academic Service |

Centre;

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| (l) | Industry Institute Interaction Facility,
Kolkata | Academic Service
Centre; |
| (m) | Industry Institute Interaction Facility,
New Delhi | Academic Service
Centre; |
| (n) | Central Research Facility | Academic Service
Centre; |
| (o) | Centre for Societal Mission | Service Centre: |

Provided that the Board may, on recommendation of the Senate, establish or abolish any Centre or Service Centre or merge it with another Centre or Service Centre or a Department or convert it into a Department.

**Head of the
Department.**

23. (1) Each Department of the Institute shall be placed in charge of a Head who shall be selected by the Director from amongst the Professors and Associate Professors in such manner as may be laid down by the Board from time to time.

Each Centre or School or Service Centre of the Institute shall be placed in charge of a Head who shall be selected by the Director from amongst the Professors or Associate Professors, Chief Scientific Officers or Principal Scientific Officers, Chief Design Engineers or Principal Design Engineers or Librarian in the Centre or School or Service Centre or in a cognate Department or Centre or School in such manner as may be laid down by the Board from time to time:

Provided that when in the opinion of the Director the situation so demands, the Director may himself take temporary charge of a Department or Centre or School or Service Centre or place it under the charge of the Deputy Director or a Professor from another Department or Centre for a period not exceeding six months.

- (2) The Head of the Department or Centre or School or Service Centre shall be responsible for the entire working of the Department or Centre or School or Service Centre, subject to the general control of the Director.
- (3) It shall be the duty of the Head of the Department or Centre or School or Service Centre to see that the decisions of the authorities of the Institute and of the Director are faithfully carried out. He shall perform such other duties as may be assigned to him by the Director.

**Institution of
Fellowships,
Scholarships,
Exhibitions, Medals
and Prizes.**

24. Consistent with the decisions of the Council and the policies laid down by the Central Government, from time to time, the Institute, shall institute and award such stipends, fellowships, scholarships, exhibitions, medals, prizes and other awards to be awarded to the undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral students for different academic programmes as may be prescribed by the Ordinances.

**Fees and Award of
Fee Waivers.**

25. (1) The Institute shall charge such fees from the undergraduate, postgraduate, research and post-doctoral students for different academic programmes as may be determined by the Board consistent with the decision of the Council and the policies laid down by the Central Government from time to time:

Provided that the Institute shall also award fee waivers to the students and research scholars in accordance with the decision of the Board and consistent with the policy of the Central Government and directions of the Council from time to time.

- (2) The procedure for the deposition of fees, delay fine, entry or deletion of the names from the rolls of the academic programmes of the Institute, and such other matter as may be decided by the Senate, shall be laid down in the Ordinances.

Hostels.

- 26 (1) (a) The Institute shall build and maintain Hostels and the students, including research students may reside in the Hostels built in the Institute and Institute may frame Ordinances for the purpose from time to time.
- (b) The students who do not reside in the Hostels shall not be required to pay any charge that is recoverable from the students residing in the hostels e.g. establishment charges, mess subsidy charges, room rent, electricity charges, etc.
- (2) Every student residing in the Hostels and those living outside the Institute campuses shall conform to the Standing Orders laid down by the Senate for the purpose.
- (3) For each Hostel, there may be a Chief Warden, and such number of Wardens or Assistant Wardens and other staff as may be laid down by the Board and the procedure of the appointment of the Chief Warden, Warden or Assistant Warden and other staff in the Hostel, the entitlement of facilities, if any, and the allowances payable to them, if any, shall be such as may be specified in the Ordinances.

**Conferment of
Honorary Degrees.**

27. All proposals for the conferment of honorary degrees shall be made by the Senate and shall require the assent of the Board before submission to the Visitor for confirmation :
- Provided that in cases of urgency, the Chairman may submit on behalf of the Board, such proposal to the Visitor.

[F. No. 23-3/2016-T.S.-I]

R. SUBRAHMANYAM, Addl. Secy. (TE)